प्रकरण संख्या 124/2017 श्रीमती हरकूबाई बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओटो का गुड़ा में आराजी नंबर 302, 303, 502/301 किता 3 रकबा 0.4250 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 237, 238, 239 किता 3 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा थे। उक्त आराजियात वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात के पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की आराजी नंबर 71 रकबा 0.1400 हैक्टर स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 29 रकबा 7 बिस्वा थे। साबिक 7 बिस्वा का कन्वर्ट रकबा 0.0756 हैक्टर होता है, जबकि हाल रकबा 0.1400 हैक्टर दर्ज कर दिया है अर्थात 0.0644 हैक्टर भूमि ज्यादा दर्ज कर दी गयी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के खातेदारी के आराजी नंबर 64 रकबा 0.1500, जिसके साबिक आराजी नंबर 24 रकबा 14 बिस्वा थे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के खाते की आराजी नंबर 72 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि स्थित है, जो साबिक आराजी नंबर 30 रकबा 1 बीघा से बना है। साबिक आराजी नंबर 30 रकबा 1 बीघा के हाल आराजी नंबर 72, 73, 74 व 75 कुल किता 4 रकबा 0.2300 हैक्टर बने। इसी तरह वादीगण के खाते की आराजी के पूर्व दिशा में प्रतिवादी संख्या 10 की आराजी नंबर 304 रकबा 0.1400 हैक्टर स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 244 रकबा 13 बिस्वा थे। प्रतिवादीगण तीन साल से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य स्थित पाली को जबरन हांक कर अपनी भूमि में मिला रहे हैं व वादीगण के मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण की उक्त आराजियात के पश्चिम में 0.0400 हैक्टर भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने वादीगण की आराजी के पश्चिम में 0.0200 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने वादीगण की आराजी के पश्चिम में 0.0200 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 10 ने वादीगण की आराजी के पूर्व में 0.0100 हैक्टर भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है, जो बिना अधिकार के है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात के पश्चिमी हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.0400 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 0.0200 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का 0.0200 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 10 का 0.0100 हैक्टर भूमि पर जबरन किया गया कब्जा हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2017 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमसिंह पंवार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टगण का कब्जा विवादित आराजियात पर होना मानने में भूल की है, जबकि कथित रिपोर्ट अनुसार न तो अपीलान्टगण की जमीन की नपती की गयी है, न ही रेस्पोन्डेन्टगण की जमीन की नपती की गयी है। इसके अलावा उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना तहसीलदार अथवा पटवारी द्वारा नहीं दी गयी है इसलिए नियमानुसार उक्त रिपोर्ट मान्य ही नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका कोई उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है एवं तनकियात कायम किये जाने के बावजूद तनकीवार विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायलाय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1120 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा तहसीलदार गिर्वा को जो पत्र लिखा गया है, उसमें आराजी नंबर 302, 303 एवं 502/301 रकबा 0.4250 हैक्टर भूमि के बारे में रिपोर्ट चाही गयी है, जबकि मौका रिपोर्ट में सिर्फ आराजी नंबर 302 रकबा 0.2200 हैक्टर के कब्जे के बारे में ही उल्लेख है। इसके अलावा जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है, वह अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु अवसर चाहने पर भी अवसर प्रदान नहीं किया गया और पत्रावली लोक अदालत में फैसल कर दी गई। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर ना देते हुए जो निर्णय पारित किया है वह प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2017 को अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति मौका रिपोर्ट तलब कर तद्नुसार उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:29 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर